राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुरीति को प्रतिबंधित करने हेतु वर्ष 1975 में भिक्षावृत्ति(प्रतिषेध) अधिनियम अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन/तीर्थ स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भिक्षुक गृह संचालित हो रहे हैं। वाराणसी, मथुरा, आगरा, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ एवं कानपुर में पुरूष भिक्षुकों हेतु इन गृहों का संचालन हो रहा है। फैजाबाद में महिलाओं हेतु एक पृथक से भिक्षुक गृह संचालित हैं।